जिला – मुजफ्फरपुर
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम्
S.Tr. 521/ 2019

02.02.2022 अभियुक्त प्रेम चन्द्र प्रसाद की हाजिरी दी गई है। अभियुक्त प्रेम चन्द्र प्रसाद @ प्रेम चन्द प्रसाद आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल कर अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 329 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दाखिल दिनांक 03.10.2019 के आवेदन तथा धारा 451 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दाखिल दिनांक 03.10.2019 के आवेदन को प्रचालित नहीं (Not Pressed) किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित कर कहा गया कि अभियुक्त लम्बे समय से जमानत पर थे तथा यह वाद उपस्थिति हेतु नियत था तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2021 के द्वारा अभियुक्त का बन्ध पत्र खण्डित हो गया। यह भी कहा गया कि अभियुक्त लम्बे समय से इलाजरत होने के कारण न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं हो रहे थे । यह कि अभियुक्त ने जानबूझकर गलती नहीं किया है। अभियुक्त की यह पहली गलती है। यह भी कहा गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि आरोप का गठन किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त विचारण का सामना करने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदक के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

जमानत के बिन्दु पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cri. Misc. No. 43769/2019 में आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा जमानत का लाभ मिला था। दिनांक 16.12.2021 को अभियुक्त की ओर से पैरवी नहीं होने के कारण उनका बन्ध पत्र खण्डित हो गया था। अभियुक्त स्वेच्छा से जमानत हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। अभियुक्त की यह पहली गलती है। अतः, अभियुक्त के जमानत आवेदन को इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा मो० रू 10,000/– बन्धपत्र साथ समान हैसियत वाले दो प्रतिभू को दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ा जाता है तथा अभियुक्त अगली पांच तिथियों तक न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेंगे।

वाद को आरोप के बिन्दु पर सुनवाई तथा आरोप गठन हेतु द्वितीय पाली तक के लिये स्थगित किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम्
मुजफ्फरपुर।

पश्चात्.....

02.02.2022 वाद पुकारा गया पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आरोप के बिन्दु पद उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त प्रेम चन्द्र प्रसाद @ प्रेम चन्द प्रसाद के विरूद्ध धारा 302 भा०द०वि० तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। फलतः, अभियुक्त प्रेम चन्द्र प्रसाद @ प्रेम चन्द प्रसाद के विरूद्ध **धारा 302 भा०द०वि० तथा 27 शस्त्र अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप का गठन किया जाता है।

आरोपित आरोप को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया एवं विचारण का दावा किया।

दिनांक 10.02.2022 वास्ते साक्ष्य। अभियोजन साक्षी प्रस्तुत करें। कार्यालय लिपिक साक्षियों के विरूद्ध सम्मन जारी करें।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम्
मुजफ्फरपुर।